सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिन:—272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

पत्रांक: 2116 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांक: 19 / 03 / 2020

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।

विषय— **कोविड—19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाए जाने वाले कदम।**

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर फार्मास्यिुटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इटरवेंशन है जो संक्रमित लोगो एवं गैर संक्रमित लोगो के मध्य सम्पर्क को कम करके समय से बीमारी के प्रसार को रोकने / कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर एवं इससे होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या—853 / सत्तर—3— 2020—08 / 2020 दिनांक 19 मार्च 2020 द्वारा कोविड—19 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल स्टैण्डिंग के उपाय / परामर्श दिये गये है, जो संलग्न है।

अत: मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार आप समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उक्त आदेशो / निर्देशों से अवगत होते हुए छात्र / छात्राओं को भी संवेदनशील करें। उक्त परामर्श का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 2116 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020 दिनांक 19 / 03 / 2020

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
2— क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर एवं बस्ती तथा देवीपाटन।
3— उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
4— विभागाध्यक्ष— वाणिज्य, प्रभारी— अर्थशास्त्र / हिन्दी विभाग, सि0वि0वि0 कलिवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5— निजी सचिव, कुलसचिव,सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
6— कोडिंग प्रभारी को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
7— सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने सम्मानित समाचार पत्र में छात्रहित में नि:शुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8— सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

Scanned with CamScanner

अत्यन्त महत्पवूर्ण

संख्याः– 853/सत्तर–3–2020–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज

2. **कुलपति,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020**

विषयः– कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सोशल डिस्टेन्सिंग एक गैर फार्मास्युटिकल संक्रमण निवारण एवं नियंत्रण इंटरवेंशन है जो संक्रमित लोगों एवं गैर संक्रमित लोगों के मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने में सहायक है। इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर (Morbidity) एवं इससे होने वाली मृत्यु दर (Mortality) को कम किया जा सकता है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल स्टैण्डिंग के उपाय को अपनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

(1) सभी उच्च शिक्षण संस्थायें 02 अप्रैल, 2020 तक बन्द रहेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की परीक्षायें एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षायें दिनांक 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेंगी।

(3) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा 02 अप्रैल, 2020 से पूर्व की निरस्त परीक्षाओं का पुनः आयोजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि परीक्षा परिणाम पूर्व से निर्धारित शैक्षिक पंचाग के अनुसार घोषित हों तथा नया शैक्षिक सत्र पूर्व में निर्धारित शैक्षिक पंचाग के अनुसार ही प्रारम्भ किया जा सके।

(4) छात्रों को घर में रहने का परामर्श दिया जाय एवं ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाय।

(5) अपरिहार्य कार्य को सम्पादित करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/डीन/विभागाध्यक्ष/परीक्षा नियंत्रक तथा महाविद्यालयों के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथावश्यकता बुलाया जा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति में उनके द्वारा सैनेटाइजेशन प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक होगा।

R.O. Rai Sir p.c

Scanned with CamScanner

(6) ऐसे शिक्षक/कार्मिक जिनकी आयु अधिक है या गर्भवती महिला कर्मचारी या ऐसे कार्मिक जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता हो, के द्वारा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। ऐसे शिक्षक/कर्मचारियों से विशेष अनुरोध कर लिया जाय कि वह स्वयं अपना अधिक ध्यान रखें और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से अनुपालन करें। ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को ऐसे स्थानों पर कतई न रखा जाय जहां पर अधिक जनसम्पर्क होता हों। यथासम्भव दिनांक 02.04.2020 तक इन्हे संख्या में न बुलाया जाय।

(7) यदि ऐसे शिक्षक/कर्मचारी को कोरोना वाइरस (कोविड–19) से प्रभावित होने के कोई लक्षण प्रथम दृष्टया परिलक्षित होते है, तो वह अनिवार्य रूप से अपनी जांच स्वयं करा लें और बचाव की समुचित कार्यवाही स्व स्तर से करना सुनिश्चित करें।

(8) यदि किसी शिक्षक/कार्मिक को ऐसे लक्षण परिलक्षित होते है और वह अपने आप को अलग–थलग रखने के उद्देश्य से अवकाश लेना चाहते है, तो उन्हें अवकाश अवश्य प्रदान कर दिया जाय।

(9) जहां तक सम्भव हो सके बैठकों, सेमिनार, संगोष्ठी, कान्फ्रेन्स तथा खेल प्रतियोगिता से बचा जाय यदि आवश्यक हों तो सीमित संख्या में आवश्यक व्यक्तियों को ही बैठक में बुलाया जाय।

(10) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में ऐसे सभी स्थान जहां पर हाथ का स्पर्श होता है, यथा–कुर्सी, मेज, दरवाजे, हैण्डल, अलमारी की सतहों, टेलीफोन रिसीवर, लिफ्ट के बटन, प्रसाधन कक्षों के नल/फासिट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि को नियमित रूप से सैनिटाईज करने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(11) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अन्दर जितने भी कैंटीन संचालित हो रहे है, वहां पर भी लिक्विड सोप/सेनेटाईजर की व्यवस्था कैंटीन के प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(12) नोवेल कोरोना वाइरस (कोविड–19) से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय के बारे में जो एडवाईजरी निर्गत की गयी है उसके बारे में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के समस्त भवनों में बैनर/पोस्टर लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(13) उच्च शिक्षा विभाग में शासन स्तर पर वाहट्सएप ग्रुप stateuniversityexam2020 संचालित है। अतः आवश्यक सूचनाओं की जानकारी हेतु इस वाहट्सएप ग्रुप को देखते रहे ताकि शासन के सूचनाओं की अद्यतन स्थिति से भिज्ञ रहे।

(14) भारत सरकार के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट URL:mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf तथा उत्तर प्रदेश सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सरकारी वेबसाइट www.dgmhup-covid19.in में वर्णित कोरोना के संक्रमण से बचने और उसके फैलाव को रोकने के बारे में वर्णित सुरक्षा उपायों से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सभी कार्मिक/छात्र भिज्ञ हो लें और सभी को इसके बचाव हेतु संवेदनशील भी करें। इन वेबसाइट का नियमित अवलोकन कर अद्यतन निर्देशों व जानकारी से स्वयं को भी अद्यतन रखा जाय।

भवदीय,
19/3
(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–: 853(1) /सत्तर–3–2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

R.O. Rai Sir p.c

Scanned with CamScanner